

महत्वपूर्ण एवं खास

हादसों से दहला भिलाई, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत

भिलाई (आरएनएस)। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर-1 में शनिवार देर शाम एक तेज रफतार कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में दो सगी बहन समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि भाई की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि, गुरुद्वारा से दादी का पाठ कर सभी लौट रहे थे। घटना भट्टी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, भरने वालों की पहचान धनोरा निवासी लोकेंद्र उड़के (32), मोरदा निवासी दीपिका कौर (28) और पूनम कौर (33) के रूप में हुई है। वहीं, परमवीर सिंह (23) गंभीर रूप से जख्मी है। जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दीपिका, पूनम और परमवीर तीनों भाई-बहन हैं। लोकेंद्र इनका दोस्त था। जानकारी के मुताबिक, शनिवार शाम करीब साढ़े 7 बजे कार क्रमांक सीजी 07 एटी 2620 सेंट्रल एवेन्यू रोड पर एक्यूपमेंट चौक की तरफ से तेज रफतार से जा रही थी। कार लोकेंद्र चला रहा था। उसके बगल में परमवीर बैठा था। पीछे की सीट पर दीपिका और पूनम बैठी थीं।

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

रायपुर (आरएनएस)। टेक्सी स्टेशन सिविल लाइन में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ निवासी 29 वर्षीय प्रार्थिया ने सिविल लाइन थाना में शिकायत किया कि आरोपी रमेश सिंह से उसका होटल में काम करने के दौरान पहचान हुआ। इस दौरान आरोपी ने शादी का झांसा लगातार शारीरिक संबंध बनाया और फिर शादी से इंकार कर दिया। प्रार्थिया की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

लाखों रुपए के माल का हेराफेरी, चालक के खिलाफ जर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। मीबान स्टील प्लांट मंदिरहसौद से लाखों रुपए का उच्च स्तर का स्पंज आयरन लोड कर ट्रक महाराष्ट्र के वर्धा के लिए निकला था, जो कंपनी में निम्न स्तर का माल पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर मंदिरहसौद पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रवीण नामदेव 32 वर्ष चिकली वरोरा चंद्रपुर महाराष्ट्र का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी ट्रक क्रमांक सीजी 13 एलए 4302 के चालक ने मंदिरहसौद स्थित मीबान स्टील प्लांट से 69.070 एमटी स्पंज आयरन को लेकर वर्धा स्थित एसएम डब्लू स्टील कंपनी के लिए रवाना हुआ था। जब कंपनी में पहुंचा तो वहां माल चेक करने पर स्पंज आयरन निम्न स्तर का निकला। प्रार्थी की शिकायत पर मंदिरहसौद पुलिस ने चालक के खिलाफ अमानत का ख्यानत मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

एकाऊंटेड ने किया 8 लाख का गबन

रायपुर (आरएनएस)। गुमा स्थित नर्मदा ड्रीक्स प्राइवेट लिमिटेड के एकाऊंटेड ने 8 लाख रुपए का गबन कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर उरला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी श्याम कुमार शर्मा 56 वर्ष नर्मदा ड्रीक्स प्राइवेट लिमिटेड गुमा का डायरेक्टर है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी कार्तिकराम डंडेगुमा 45 वर्ष प्रार्थी के कंपनी में एकाऊंटेड के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी ने आरोपी को आईओसीएल की क्षतिपूर्ति के लिए 8 लाख रुपए दिया था। जिसे जमा ना कर गबन कर लिया। जब प्रार्थी को पता चला तो उसने इसकी शिकायत उरला थाना में की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

नकली नोट छापने एवं खपाने वाले दो जालसाजों को लवन पुलिस ने किया गिरफ्तार

■ जालसाजों के पास से पुलिस ने 2 लाख 32 हजार 400 रुपये के नकली नोट सहित नोट छापने वाले उपकरण जब्त



सहित कुल 6400 का नकली नोट किया गया बरामदा आरोपियों द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर प्रिंटर मशीन, प्रिंटर कागज आदि की सहायता से 100, 200 एवं 500 रूपये के नकली नोट छापने का करते थे काम। आरोपियों की निशानदेही एवं पूछताछ पर विनायक

मिली कि लवन नगर में कुछ लोग जाली नोट लेकर आए हैं तथा उसे लवन मार्केट परिया में खपाने वाले हैं। कि सूचना पर थाना लवन पुलिस द्वारा लवन बाजार, जिला सहकारी बैंक के पीछे खंडहर में दबिश देकर दो आरोपियों को जाली नोट के साथ पकड़ा गया। दोनों आरोपियों का विधिवत तलाशी लेने पर क्रमशः 500, 200 एवं 100 के नोट सहित कुल 6400 नकली नोट दोनों आरोपियों से बरामद किया गया। कि प्रकरण में थाना लवन में अपराध क्रमांक 519/2024 धारा 178, 180, 181, 3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कि दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ किया गया, जिसमें दोनों आरोपियों

द्वारा अपने एक अन्य आरोपी साथी के साथ मिलकर पूरी योजनाबद्ध तरीके से एक रंगीन प्रिंटर मशीन खरीदना एवं उस मशीन एवं प्रिंटर पेपर का उपयोग करते हुए 100, 200 एवं 500 रूपये के नकली नोट छापना बताया गया। प्रकरण में इन दोनों के अलावा तीसरा आरोपी भी शामिल है, जो कि इन्हीं की तरह नकली नोट छापने के लिए कहीं निकला हुआ है, जिसकी पता तलाश जारी है। आरोपियों से पूछताछ पर यह भी पता चला कि यह लोग नोट छापने का प्रिंटर मशीन, प्रिंटर कागज पेपर एवं उसमें प्रिंट किया गया बहुत सारा नकली नोट को, विनायक नगर भाटगांव रायपुर स्थित अपने किए के मकान में रखा गया है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा लत्काल उक्त मकान में दबिश देकर 2,26,000 का नकली नोट, इसे

छापने में इस्तेमाल प्रिंटर मशीन एवं प्रिंटर कागज बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा संपूर्ण कार्यवाही में आरोपियों से कुल 2,32,400 रुपए का नकली नोट बरामद किया गया है। मामले में एक आरोपी फरार है, जिसकी पता तलाश की जा रही है तथा प्रकरण विवेचना में है। कि प्रकरण में गिरफ्तार दोनों आरोपी भुवन साहू और तुषार साहू को आज दिनांक 08.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। आरोपियों के नाम

- 1. भुवन साहू उर्फ भूपेश उम्र 25 साल निवासी वार्ड क्रमांक 07 लवन थाना लवन। 2. तुषार साहू उर्फ सोनू उम्र 26 साल निवासी वार्ड क्रमांक 07 लवन थाना लवन।

चोरी के दो मामलों में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

■ कार्यवाही थाना मैनपुर पुलिस एवं साइबर पुलिस टीम

गरियाबंद | आरएनएस

वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में थाना मैनपुर एवं सायबर पुलिस टीम के द्वारा 115 प्लास्टिक कुर्सी एवं 29 नग लोहे के सेंटिंग प्लेट की चोरी के दो अलग-अलग मामलों में सिलिस 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गये कुर्सी एवं सेंटिंग प्लेट को बरामद कर धारा 379 भादवि(0) एवं धारा 331(4), 305, 3(5) बीएनएस एकट गिरफ्तार कर चोरी गये कुर्सी एवं सेंटिंग प्लेट को बरामद कर धारा 379 भादवि(0) एवं धारा 331(4), 305, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.11.2024 को प्रार्थी बनसिंह सोरी पिता उधलू राम सोरी उम्र 58 साल निवासी कुल्हाड़ीघाट के द्वारा थाना

मैनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29.11.2024 के रात्रि कुमार समाज के समुदायिक भवन का ताला तोड़ कर 115 नग प्लास्टिक कुर्सी को चोरी कर संदेही आरोपी सुभाष एवं उनके दोस्त अपने छोटा हाथी वाहन क्रमांक छत्र 23 रू 1778 में डाल कर भाग रहा था जिसे गवाहों के द्वारा रोकने पर अपने वाहन को ग्राम फुलझर मोड़ के पास छोड़ कर भाग गया कि रिपोर्ट पर थाना मैनपुर में संदेही आरोपी के विरुद्ध धारा 331(4), 305, 3(5) बीएनएस एकट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जो विवेचना के दौरान थाना मैनपुर पुलिस टीम एवं सायबर सेल टीम के द्वारा संदेही आरोपी सुभाष एवं उनके दोस्तों का पतासाजी किया गया जो दिनांक 07.12.2024 को संदेही आरोपी सुभाष को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो पूछताछ के दौरान कुमार भवन में अपने

दोस्त योगेश यादव के साथ मिलकर कुमार भवन के 115 नग प्लास्टिक कुर्सी को चोरी करना स्वीकार किये साथ कड़ाई से पूछताछ करने पर दिनांक 05.03.2024 को ग्राम जरणडी कन्ठकशन साईड में अपने दो अन्य दोस्त मुकेश उर्म मुकुकु निषाद, हुमेश्वर सोरी के साथ मिल कर 29 नग लोहे के सेंटिंग प्लेट को चोरी करना स्वीकार किये जाने पर दो अलग-अलग मामलों को कुल 04 आरोपी सुभाष उर्फ गांधी श्रीवास निवासी कोमाखावन महासमुंद, योगेश यादव निवासी लुकुपाली महासमुंद, मुकेश उर्म मुकुकु निषाद निवासी पण्डरीपानी थाना छुरा, हुमेश्वर सोरी निवासी पण्डरीपानी थाना मैनपुर के कब्जे से 115 नग प्लास्टिक कुर्सी एवं 29 नग लोहे का सेंटिंग प्लेट को बरामद कर समक्ष गवाहन के जस किया गया। आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने से समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज भेजा

गया। इस कार्यवाही में थाना मैनपुर प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर हुर्रा, सउनि0 जोहन ध्रुव, प्र.आर. राजकुमार साहू, हरिशचंद्र ध्रुव, प्रमोद यादव, आर0 प्रवीण वर्मा सायबर टीम सउनि0 मनीष वर्मा, प्र0आर0 अंगदराव, आर. सतीश गिरी, देवेन्द्र सोनवानी एवं अन्य का विशेष योगदान रहा। नाम आरोपी- 01) सुभाष उर्फ गांधी पिता जानकी राम उम्र 35 साल निवासी राजापुरा कोमाखावन थाना कोमाखावन जिला महासमुंद 02) योगेश यादव पिता स्व. गणेश राम उम्र 25 साल निवासी ग्राम लुकुपाली थाना कोमाखावन जिला महासमुंद 03) मुकेश उर्फ मुकुकु निषाद पिता मनीराम निषाद उम्र 21 साल निवासी पण्डरीपानी थाना छुरा जिला गरियाबंद 04) हुमेश्वर सोरी पिता मंगलसिंह सोरी उम्र 22 साल निवासी पण्डरीपानी थाना मैनपुर जिला गरियाबंद

नाबालिग का अपहरण कर तमिलनाडु ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कवर्धा (आरएनएस)। थाना तेरगांव जंगल पुलिस ने एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। प्रार्थी द्वारा थाना तेरगांव जंगल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है। इस पर थाना तेरगांव जंगल में *अपराध क्रमांक 23/2024, धारा 137(2) बीएनएस 06 एवं पाक्सो एक्ट* के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान टीम ने नाबालिग अपहृता को तमिलनाडु के *ग्राम आठिकाडु, थाना वेलागांडमपट्टी, जिला नमकल* से बरामद किया। मौके पर गवाहों की

उपस्थिति में बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। महिला अधिकारी द्वारा पीड़िता से पूछताछ कराए गए बयान में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी *मुखराम धुर्वे (उम्र 19 वर्ष)* ने उसे बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया और फिर तमिलनाडु लु जाकर उसे अपनी पत्नी बताकर मजदूरी कर रहा था। इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध *धारा 64(2)(एफ), 64(2)(एम) बीएनएस 06 एवं पाक्सो एक्ट* का इजाफा किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

कुत्ते ने बच्चे को भौंका तो पिता ने जान से मारने की कोशिश, लोहे की रॉड से किया हमला, एफआईआर दर्ज

रायपुर | आरएनएस

राजधानी रायपुर से एक पशु क्रूरता का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने कुत्ते को जान से मारने की नीयत से उस पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर उसे अधमरा कर दिया। घटना 1 दिसंबर की है जब हमलावर ने कुत्ते की जान लेने के इरादे से उसपर एक बड़े लोहे की रॉड से कई बार वार कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह हमलावर को रोका और कुत्ते की जान बचाई। इस जानलेवा हमले में कुत्ता बुरी तरह घायल हो गया। पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायल कुत्ते को एनिमल वाटिका सेंकुचुरी पहुंचाया जहां उसका इलाज जारी है। इस पूरी घटना का

सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पशु प्रेमी संस्था 'जय छत्तीसगढ़ ऑल एनिमल लव एंड केयर फाउंडेशन' ने हमलावर के खिलाफ पुलिस में वीडियो सहित हमलावर के खिलाफ पशु क्रूरता की शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी का नाम सिराज खान है। सिराज खान ने कुत्ते को बेरहमी से सिर्फ इसलिये मारा, क्योंकि उसका बेटा कुत्ते के पूंछ को खींच रहा था। इससे कुत्ते ने बच्चे पर भौंका और सिराज का बेटा डर गया। बच्चा डर कर रोने लगा। इससे गुस्सेए सिराज खान ने कुत्ते को जान से मारने की नीयत से बेरहमी से मार-मारकर बुरी तरह घायल कर दिया।

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने डीजीपी व आईजी से कहा-फ्लोरा मैक्स से जुड़ी महिलाओं की शिकायत हर थाना-चैकी होना चाहिए

कोरबा | आरएनएस

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने फोन के माध्यम से राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा व बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला से चर्चा की। अधिकारीद्वय को अवगत कराते हुए कहा कि कोरबा जिला सहित अन्य जिलों में फ्लोरा मैक्स कंपनी से जुड़े महिला लीडरों के द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ ठगी किया गया है। फ्लोरा मैक्स के

लीडरों का साठगांठ फाइनंस कंपनी के लोगों से था, इसलिए महिलाओं को 5 से 10 मिनट के अंदर लोन दिलाकर लोन की रकम 30300 रुपये देने के पश्चात 30000 रुपये का ही रसीद महिलाओं को दिया जाता था। यहीं से ठगी की शुरुआत हुई है। सभी थाना-चैकी क्षेत्र में संचालित ब्रांच से अलग-अलग टीम लीडरों के द्वारा पैसा वसूलने का काम किया गया है इसलिए सभी थाना-चैकी क्षेत्र में प्रकरण दर्ज करना चाहिए। ठगी की रकम स्पष्ट नहीं, प्रशासन के अपील-श्री कंवर ने कहा कि

कोरबा जिले में प्रशासन की ओर से फ्लोरा मैक्स के संबंध में अभी तक किसी प्रकार की अपील पीडित महिलाओं से नहीं किया गया है कि वे लोहा अपनी शिकायत पुलिस के पास जरूर दर्ज करावें और प्रशासन उस पर संज्ञान लेगा। इस कारण से ठगी का शिकार हुई महिलाओं और कुल राशि का आंकड़ा अभी तक जिले में स्पष्ट रूप से नहीं आया है। ननकीराम ने की यह अपील- ननकीराम कंवर ने कोरबा जिला सहित अन्य जिलों में ठगी का शिकार हुई महिलाओं से अपील की

है कि आप लोग अपनी शिकायत लिखकर संबन्धित थाना, पुलिस चैकी, पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को जरूर दें जिससे कितने महिलाओं के साथ में ठगी हुआ है और कौन-कौन फाइनेंस कंपनी ने महिलाओं को लोन फाइनेंस किया है, इसकी जानकारी मिल सके। यह भी पता चल सकेगा कि फ्लोरा मैक्स कंपनी के किन-किन लोगों की सलाहा इस स्कैम में है। पीडित महिलाएं शासन-प्रशासन की मदद के लिए अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID - sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

अधिकार से न्याय तक

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीडितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं सौम्य एडवोकेट श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गौरीगंज रोड के तटवर्ती कुलु श्री.वी.वर्मा, श्रीमती प्रकाश श्रीवास्तव, श्रीमती उमेशी राकून्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अत्याच अत्याच मानवाधिकार इन सभी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उतेर विशिष्ट में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं स्वयं व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बन्धी कार्य एवं लेक्टर वेस्टार, गरीब, परिवारिक, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

आवश्यकता
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ शास्त्रता एवं अन्यायविरुद्ध शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जायेगी। प्रत्येक ब्लॉक स्तर संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित निम्न एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
प्रादायित एवं पीडित व्यक्तियों को सुनाना, आवेदन लेना तथा पीडितों को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीडित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं तैयारिक के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

मुख्य विन्तु
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीडित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीडित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत अधिकार तालिका को व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीडित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य विन्तु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बन्धी वेतना हेतु भी जागरूकता देने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासीयों के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचित वर्ग के अधिकारों के सम्बन्ध में विधि एवं सैमिनारिक शिबिर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संरक्षित किया जायेगा तथा प्रत्येक ब्लॉक को उसके ब्लॉक एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों को परेशानी से पहुँचाना संभव है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीडितों को न्याय दिलाने में समर्थ सहायता की देगा।
● संघ द्वारा सैमिनारिक शिबिर एवं सामाजिक शिक्षा से सम्बन्धित विस्तृत कार्यक्रम किए जायेगे, एवं समान उद्देश्य वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं से न्याय मित्रक काम किया जायेगा।
● संघ सामाजिक कृतिवियों को दूर करके के लिए करके तथा उत्थान में करेगा। संघ देश के मूल विद्वेत्त पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीडित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

दवा खाने के बाद चोटिल हाथी में आया सुधार, चलकर सुईआरा जंगल पहुंचा

कोरबा | आरएनएस



हाथी के नाला में गिरकर चोटिल होने की जानकारी मिलते ही वन विभाग में हडकंप मच गया था। उसके अधिकारी व कर्मचारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे और हाथी की स्थिति जानकारी लेने के साथ उपचार की व्यवस्था कराई। हाथी को

पशु चिकित्सो की सलाह पर अपराह- 3 बजे गुड़ के साथ दवा खिलाया गया। दवा खाने के बाद एक घंटे इसका असर हुआ और हाथी चलने लगा। चलते-चलते पहले बड़मार में फिर सुईआरा के जंगल पहुंच गया। अधिकारियों के निर्देश पर वनअमला इसकी रात भर निगरानी करते रहे। हाथी को पिडिया क्षेत्र में नाले के पास लंगड़ाता देख लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए थे और भीड़ भी लगा गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस के साथ वनविभाग के जवानों को तैनात किया गया। इस बीच 49 हाथियों का दल बोतली गांव पहुंच गया है। इस दल ने बीती रात उत्पात

मचाते हुए फसल को रौंद दिया जबकि पेट्रोल पंप के पास सुभाष नामक एक ग्रामीण के बाड़ी में घूस कर वहां लगे सब्जि व अन्य पौधों को तहस-नहस कर दिया। बोतली में हाथियों द्वारा उत्पात मचाये जाने की सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंच कर नुकसानों के आंकलन में जुट गया है। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा रेंज में एक बार फिर 12 हाथियों का दल पहुंच गया है। हाथियों के इस दल को आज सुबह वन परिसर के जंगल में विचरण करते हुए देखा गया। यह दल एक दिन पहले भी धरम जयगढ़ का रूख किया था। वहां लगभग 24 घंटे रहने के बाद फिर

कुदमुरा लौट आया। जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। उधर कटघोरा वन मंडल में भी हाथियों का उत्पात नहीं थम रहा है। यहाँ के पसान रेंज के सेम्हरा सर्किल में बड़ी संख्या में हाथी विचरण कर रहे हैं जो बीती रात हरदेवा एवं चिकनी नामक गांव में पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने ग्रामीणों के खलिहान में रखे धान की खरही तथा अरहर की फसल को चट कर दिया। इतना ही नहीं हरदेवा में मानकुंवर पति राय सिंह नामक महिला के घर का दरवाजा तोड़कर वहां रखे चावल को चट कर दिया तथा कुछ घरेलू सामानों को भी नुकसान पहुंचाया है।

